न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 141/2020

वादी –

1. लिखमाराम पुत्र मदनलाल उर्फ मदनराम
2. हीरालाल पुत्र मदनलाल
3. सहदेव गोदारा पुत्र मदनलाल
   जातियान–जाट निवासी–बोड़वा, तहसील जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मदनलाल उर्फ मदनराम पुत्र चन्दाराम
   जातियान–जाट, निवासी–जायल तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी
2. श्री राजकुमारसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक** : 07/04/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के जायन्दा पुत्र है। वादीगण के अलावा अन्य कोई संतान नहीं है। इनकी पुश्तैनी बडेर की भूमि ग्राम–बोड़वा, 686, 838, 843, 844, के रूप में स्थित है।

मुतदाविया खेताय की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा स्कीम पैरा संख्या 3 (क से घ) एवं संलग्न माफिक नजरी नक्शानुसार बंटवारा कर काबिज हो गये है तथा सींवे कायम कर ली जिसका विवरण निम्न प्रकार है – वादी लिखमाराम के हक बंट में गांव बोड़वा तहसील जालय के खसरा नं. 686 में से 3.1403 हैक्टयेर पूर्वी भाग, वादी हीरालाल के

07/04/2021
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

हक बंट में गांव बोड़वा के खसरा नं. 843 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा नं. 844 रकबा 2.9542 हैक्टेयर पुरा, वादी सहदेव के हक बंट में ग्राम बोड़वा के खसरा नं. 686 में से रकबा 6.2807 हैक्टैयर में से 3.1404 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, प्रतिवादी मदनलाल के हक बंट में मौजा बोड़वा के खसरा नं. 838 रकबा 2.8571 हैक्टैयर यथावत रखा गया तथा कब्जे काश्त है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह ने दिनांक 05.11.2020 को इकबालिया जवाब दावा पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबालिया जवाब पेश करने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में शपथ पत्र गवाह हीरालाल, का शपथ पत्र पेश किया, जिसपर बयान कलमबद्ध कराये गये। वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम ग्राम–बोड़वा तहसील जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 472 प्रदर्श–1 कराई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिया जवाब दावा के वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त खेता पक्षकारान के पुश्तैनी बढेर के है जिसका मौखिक बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णन अनुसार वादी लिखमाराम के हक बंट में गांव बोड़वा तहसील जालय के खसरा नं. 686 में से 3.1403 हैक्टयेर पूर्वी भाग, वादी हीरालाल के हक बंट में गांव बोड़वा के खसरा नं. 843 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा नं. 844 रकबा 2.9542 हैक्टेयर पुरा, वादी सहदेव के हक बंट में ग्राम बोड़वा के खसरा नं. 686 में से रकबा 6.2807

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

हैक्टैयर में से 3.1404 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, प्रतिवादी मदनलाल के हक बंट में मौजा बोड़वा के खसरा नं. 838 रकबा 2.8571 हैक्टैयर यथावत रखा गया है तथा कब्जे काश्त है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये इकबालिया जवाब के स्वीकारा है तथा माफिक इस्दुआ अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेतायों को प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन अधिवक्ता वादी ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक माफिक नजरी नक्शानुसार अंकित है। जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाब से भी पक्षकारान ने बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है वाद पत्र में सभी पक्षकार संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है। चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादग्रस्त खेतायों का माफिक नजरी नक्शानुसार बंट चाहा है तथा पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी नजरी नक्शानुसार बताया है।

मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत शपथ पत्र गवाहों, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः हम दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः हमारी राय में वाद वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

— : आदेश :—

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 ,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी लिखमाराम के हक बंट में गांव बोड़वा तहसील जायल के खसरा नं. 686 में से रकबा 6.2807 हैक्टैयर में से 3.1403 हैक्टयेर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी हीरालाल के हक बंट में गांव–बोड़वा तहसील–जायल, के खसरा नं. 843 रकबा 0.8741 हैक्टेयर पुरा एवं खसरा नं. 844 रकबा 2.9542 हैक्टैयर पुरा घोषित किया जाता है।
3. वादी सहदेव के हक बंट में ग्राम–बोड़वा के खसरा नं. 686 में से रकबा 6.2807 हैक्टेयर में से 3.1404 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी मदनलाल के हक बंट में मौजा बोड़वा के खसरा नं. 838 रकबा 2.8571 हैक्टैयर यथावत घोषित किया जाता है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

07/04/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर